भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3412
उत्तर देने की तारीख 09.12.2019

एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के लिए धनराशि

3412. श्री सुनील कुमार पिन्टूः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश, विशेष रूप से बिहार में क्योंकि वहां भी जनजातीय लोगों की बड़ी आबादी है, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं (आईटीडीपी) के अंतर्गत राज्य-वार/जिले-वार/क्षेत्र-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) उक्त वर्षों के दौरान आज की तिथि तक उक्त धनराशि में से उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार/जिले-वार/क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इससे जनजातीय लोगों को किस प्रकार लाभ हुआ है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) और (ख): जनजातीय उप-स्कीम को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए), भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के विकास नामक स्कीमों के तहत संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस मंत्रालय में गठित परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा प्रस्तावों के अनुमोदन के पश्चात् विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। इन स्कीमों के तहत निधियां सीधे किसी भी आईटीडीपी / आईटीडीए को जारी नहीं की जाती है। यद्यपि, अनुमोदित परियोजनाओं के एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं (आईटीडीपी) / एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण (आईटीडीए) या उपयुक्त एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए निधियां राज्यों को निर्मुक्त की जाती हैं। बिहार में कोई एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) नहीं है। इन स्कीमों के तहत बिहार राज्य सहित निर्मुक्त/ उपयोग की गई निधियों का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक - I, II और III** पर उपलब्ध है।

*****

अनुलग्नक-I

'एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के लिए धनराशि ' के संबंध में श्री सुनील कुमार पिन्टू , संसद सदस्य द्वारा दिनांक 09/12/2019 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 3412 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

पिछले तीन वर्षों के दौरान जनजातीय उप स्कीम को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) स्कीम के तहत राज्य सरकारों की निर्मुक्त की गई निधि और उनके द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2016-17		2017-18		2018-19	
		कुल निर्मुक्ति	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र	कुल निर्मुक्ति	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र	कुल निर्मुक्ति	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र
1	आंध्र प्रदेश	5000.42	5000.42	3624.77	3624.77	5617.3900	5617.39
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	2211.8300	442.37
3	असम	3407.80	3403.21	0.00	0.00	0.0000	0.00
4	बिहार	743.74	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00
5	छत्तीसगढ़	11717.82	11717.82	14327.57	13125.49	10342.6500	10342.65
6	गोवा	455.68	455.68	559.09	0.00	352.3100	0.00
7	गुजरात	9,488.00	9,488.00	10,270.41	9,934.63	11,765.38	11,597.56
8	हिमाचल प्रदेश	1959.39	1959.39	2291.20	9,934.63	3627.9975	3517.26
	जम्मू और कश्मीर	3671.61	3671.61	3626.50	3626.500	3749.8000	749.96
10	झारखंड	9820.75	9220.75	11372.49	6166.76	8564.5200	2071.06
11	कर्नाटक	5100.00	5100.00	5955.37	4988.68	5347.7600	605.00
12	केरल	808.09	288.10	808.43	367.06	335.0000	0.00
13	मध्य प्रदेश	19236.61	17443.75	22828.70	13728.62	16968.9700	12192.00
14	महाराष्ट्र	9547.00	9547.00	13760.38	13760.38	13802.5700	2760.35
15	मणिपुर	2260.00	2260.00	3790.38	3790.38	5442.4800	420.00
16	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	2739.2000	0.00
17	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	1220.0000	0.00
18	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	3225.0000	1612.50
19	ओडिशा	11806.27	11806.27	11975.00	5433.78	17553.2200	2899.72
20	राजस्थान	11072.90	11072.90	10051.83	10051.83	10327.9300	2093.58
21	सिक्किम	1497.62	1217.62	5986.00	644.91	0.0000	0.00
22	तमिलनाडु	600.00	516.91	894.10	800.09	315.0000	285.77
23	तेलंगाना	3845.35	3845.35	4493.55	4493.55	2850.3225	2850.32
24	त्रिपुरा	1345.76	1245.70	1649.77	1649.77	1294.3800	890.09
25	उत्तराखंड	0.00	0.00	679.00	679.00	1012.8800	332.75
26	उत्तर प्रदेश	121.92	0.00	458.35	0.00	0.0000	0.00
27	पश्चिम बंगाल	5995.50	5995.50	5397.11	5397.11	5833.4100	5610.81
कुल		**119502.230**	**115255.98**	**134800.00**	**112197.94**	**134500.00**	**66891.14**

अनुलग्नक-II

'एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के लिए धनराशि ' के संबंध में श्री सुनील कुमार पिन्टू , संसद सदस्य द्वारा दिनांक 09/12/2019 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 3412 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान की स्कीम के तहत राज्य सरकारों (ईएमआरएस सहित) को निर्मुक्त निधियों और उनके द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र के राज्य-वार ब्यौरे ।

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2016-17		2017-18		2018-19	
		कुल निर्मुक्ति	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र	कुल निर्मुक्ति	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र	कुल निर्मुक्ति	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र
1	आंध्र प्रदेश	2869.43	2869.43	4591.11	4591.11	6390.77	6390.77
2	अरुणाचल प्रदेश	6580.53	6463.70	8378.82	8378.82	12170.52	7626.73
3	असम	844.12	731.45	0.00	0.00	3916.32	19.56
4	बिहार	1467.58	1433.88	991.89	0.00	0.00	0
5	छत्तीसगढ़	10488.52	10488.52	10964.49	10964.49	11352.92	11352.92
6	गोवा	450.00	126.19	103.00	0.00	345.66	0
7	गुजरात	9739.02	9739.02	11384.08	11384.08	11648.20	8160.77
8	हिमाचल प्रदेश	1595.87	1595.87	2074.70	2074.70	3378.16	3242.16
	जम्मू और कश्मीर	3539.66	3539.66	3049.06	3049.06	2051.79	510.044
10	झारखंड	9489.38	8962.26	12386.93	8167.06	7354.30	3416.01
11	कर्नाटक	4664.00	4664.00	5881.74	5881.74	5220.61	1880.590
12	केरल	695.58	695.58	803.17	244.02	472.28	0
13	मध्य प्रदेश	14971.43	14971.43	22399.48	12152.94	24635.30	7683.14
14	महाराष्ट्र	11536.53	11536.53	13862.24	13862.24	17015.91	1766.34
15	मणिपुर	1694.40	1694.40	2308.80	2308.80	5367.65	864.64
16	मेघालय	1576.21	1576.21	3603.40	1267.80	5129.79	43.37
17	मिजोरम	1927.49	1927.49	2504.41	2504.41	3507.71	2876.55
18	नागालैंड	6368.00	6368.00	4434.11	4434.11	9194.49	4368.51
19	ओडिशा	11954.96	11954.96	15995.30	7765.62	21449.15	5391.41
20	राजस्थान	10341.39	10341.39	10240.58	10240.58	13769.23	3301.7
21	सिक्किम	1147.00	1147.00	405.30	405.30	355.34	355.34
22	तमिलनाडु	798.24	798.24	378.00	378.00	773.57	213.71
23	तेलंगाना	3608.05	3608.05	5015.32	5015.32	3248.89	3248.89
24	त्रिपुरा	1280.99	1280.99	2040.89	2040.89	2006.73	1034.06
25	उत्तर प्रदेश	1138.62	890.12	189.00	189.00	252.43	252
26	उत्तराखंड	0.00	0.00	1577.56	473.20	1255.27	0.00
27	पश्चिम बंगाल	5814.37	5814.37	5376.51	5376.51	9235.73	6246.66
	कुल	**126581.37**	**125218.74**	**150939.89**	**123149.8**	**181498.72**	**80245.87**

अनुलग्नक-III

'एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के लिए धनराशि ' के संबंध में श्री सुनील कुमार पिन्टू , संसद सदस्य द्वारा दिनांक 09/12/2019 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 3412 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी वीटीजी) के विकास की स्कीम के तहत राज्य सरकारों को जारी की गई निर्मुक्त निधियां और उनके द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2016-17		2017-18		2018-19	
		कुल निर्मुक्ति	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र	कुल निर्मुक्ति	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र	कुल निर्मुक्ति	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र
1.	आंध्र प्रदेश	**5105.00**	5105.00	2076.00	2076.00	1837.00	1837.00

2.	**अंडमान और निकोबार द्वीप**	**100.00**	57.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3.	**बिहार**	**342.84**	0.00	295.91	158.47	0.00	0.00
4.	**छत्तीसगढ़**	**1230.00**	1230.00	1089.50	1089.50	1051.50	1051.50
5.	**गुजरात**	**779.12**	779.12	390.67	390.67	604.00	331.39
6.	**झारखंड**	**3120.00**	3120.00	2043.75	2043.75	3295.79	700.00
7.	**कर्नाटक**	**136.00**	136.00	467.00	467.00	460.00	460.00
8.	**केरल**	**100.00**	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
9.	**मध्य प्रदेश**	**10460.00**	9950.00	8232.46	8232.46	7998.09	5508.50
10.	**महाराष्ट्र**	**2077.00**	2077.00	1226.25	1226.25	1230.26	1230.26
11.	**मणिपुर**	**329.00**	329.00	195.00	195.00	1157.55	0.00
12.	**ओडिशा**	**1379.00**	1379.00	1297.00	1297.00	3626.00	738.31
13.	**राजस्थान**	**1331.00**	1331.00	1038.00	1038.00	1008.00	1008.00
14.	**तमिलनाडु**	**3055.00**	2868.27	1770.75	1458.00	0.00	0.00
15.	**तेलंगाना**	**1139.00**	1139.00	778.00	778.00	533.00	533.00
16.	**त्रिपुरा**	**2250.00**	2250.00	2305.00	2072.28	789.53	0.00
17.	**उत्तर प्रदेश**	**0.00**	0.00	17.96	17.96	0.00	0.00
18.	**उत्तराखंड**	**292.48**	292.48	130.00	130.00	565.86	206.00
19.	**पश्चिम बंगाल**	**574.00**	574.00	330.76	0.00	843.42	0.00
कुल		**33799.44**	**32616.87**	**23946.01**	**22670.34**	**25000.00**	**13603.96**